

प्रेस नोट दिनांक 18.09.2020

थाना बेनीगंज पुलिस द्वारा गैरेस्टर एक्ट में फरार 15,000 का इनामी अपराधी
गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक हरदोई महोदय के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में आज थाना बेनीगंज पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 461/20 धारा 2/3 यू0पी0 गैरेस्टर एक्ट थाना बेनीगंज जनपद हरदोई में फरार चल रहे शातिर चोर/नकबजन काफिल उर्फ कफील पुत्र मो0 इदरीश निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना बेनीगंज जनपद हरदोई को SHO बेनीगंज श्री राजकरन शर्मा व उनकी टीम द्वारा एक अदद तमचा 315 बोर व 2 अदद जीवित कारतूस 315 बोर के साथ रेलवे क्रासिंग बेनीगंज के पास गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बेनीगंज पर मु.अ.सं. 480/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त काफिल उर्फ कफील की गिरफ्तारी हेतु पत्र संख्या- डीसीआरबी/पु0घो0/2020 दिनांक 07.09.2020 के द्वारा 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. काफिल उर्फ कफील पुत्र मो0 इदरीश निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना बेनीगंज जनपद हरदोई उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1. 1 अदद तमचा .315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारी का नाम -

- 1- SHO श्री राजकरन शर्मा थाना बेनीगंज हरदोई
- 2- व.उ.नि. श्री अशोक कुमार थाना बेनीगंज हरदोई
- 3- का. राकेश कुमार थाना बेनीगंज हरदोई
- 4- का. मोहित कुमार थाना बेनीगंज जनपद हरदोई
- 5- का. मोनू चौधरी थाना बेनीगंज जनपद हरदोई
- 6- का. मो0 इरफान सर्विलांस सेल जनपद हरदोई

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु.अ.सं. 381/20 धारा 379/411 भादवि थाना बेनीगंज जनपद हरदोई
2. मु.अ.सं. 410/20 धारा 379/411 भादवि थाना बेनीगंज जनपद हरदोई
3. मु.अ.सं. 411/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना बेनीगंज जनपद हरदोई
4. मु.अ.सं. 461/20 धारा 2/3 यू0पी0 गैरेस्टर एक्ट थाना बेनीगंज जनपद हरदोई
5. मु.अ.सं. 480/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेनीगंज जनपद हरदोई

मीडिया सेल हरदोई